न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री राजीव बडगूजर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/03/2023 प्रार्थना पत्र दायर दिनांक 10.01.2023

उनवान

1. रामेश्वरलाल पिता हरलाल जाति नाई (सेन) आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. भगवानलाल पुत्र हीरालाल जाति सेन आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
2. भैरुलाल पुत्र मांगीलाल जाति सेन आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
3. शान्तिलाल पुत्र भैरुलाल जाति डांगी आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
4. कालीबाई पुत्री भगवान जाति डांगी आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
5. धापुबाई पुत्री भगवान जाति डांगी आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
6. नंदुबाई पत्नी भगवान जाति डांगी आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
7. नारायणीबाई पुत्री भगवान जाति डांगी आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
8. प्रेमबाई पुत्री भगवान जाति डांगी आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
9. भूमिधारी, तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।

––अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा –प्रार्थीगण
अधिवक्ता श्री अभय चपलोत –अप्रार्थी संख्या 1
अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच –अप्रार्थी संख्या 2
शेष एकतरफा

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट0 :–

निर्णय दिनांकः 30.07.2024

–:निर्णयः–

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मौजा लांगच पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ के हाल जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 323 की आराजी संख्या 1704 रकबा 0.56 हैक्टर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.56 हैक्टर स्थित है जो मुझ प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड खातेदारी में दर्ज होकर प्रार्थी काबिज काश्त है। चिरकाल से मुझ प्रार्थी व मेरे पुर्वजो के द्वारा काश्त की जा रही है। उक्त आराजीयात पर आने–जाने बैल–गाडी लाने ले जाने, मवेशी लाने ले जाने, फसल आदि ले आने ले जाने का रास्ता प्रार्थी को अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 3 तक खातेदारी की आराजी संख्या 1703 की दक्षिणी व पूर्वी मेड पर होकर आगे अप्रार्थीगण संख्या 3 से लगायत 8 तक की खातेदारी की आराजी संख्या 1701 की उत्तरी मेड पर होकर मुख्य सडक आराजी संख्या 1088 तक रास्ते के रुप में उपयोग उपभोग प्रार्थी अपने पुर्वजों के समय से करता चला आ रहा है। प्रमाणित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.12 14:29:37 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जमाबन्दी व नक्शाट्रेस व नजरी नक्शा जिसमें गुलाबी रंग से A, B, C, D रेखांकित मार्ग से दर्शाया हुआ है जो साथ संलग्न है।

यह कि प्रार्थी कॉलम एक वर्णित आराजीयात से होकर अपनी आराजी में अपने पुर्वजों के समय से रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है मगर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से अप्रार्थीगण यदा कदा रास्ता बन्द करने की धमकी देते है। जबकी उक्त रास्ते की आराजीयात के सम्बन्ध में न्याय पंचायत का दिनांक 05/06/1975 का निर्णय है एवं दिनांक 05/09/1975 का समझौता इकरार, दिनांक 08/07/2019 का समझौता इकरार व दिनांक 28/12/2021 का समझौता इकरार है किन्तु राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नही होने से प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात को विकसित नहीं कर पा रहा है। बार बार रास्ते को लेकर अप्रार्थीगण विवाद करते है जिससे रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है।

यह कि प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी संख्या 1704 में आने जाने गाडी, बैल, टेक्ट्रर, फसल लाने ले जाने के लिये कॉलम संख्या एक वर्णित आराजीयात में से 5 मीटर चौडा रास्ता नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाये A, B, C, D रेखांकन अनुसार दिलाया जाना आवश्यक है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की आराजी संख्या 1704 में आने जाने के लिये और अन्य कोई रास्ता नही है अतः उक्त रास्ता प्रार्थी के नाम खातेदारी राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी विधि अनुसार रास्ता भूमि का मुल्य अदा करने को तत्पर है।

यह कि दिनांक 05.01.2023 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को आराजीयात पर आने जाने के रास्ते को बन्द करने की धमकी दी व हल्का पटवारी से सम्पर्क किया पटवारी साहब ने न्यायालय से आदेश लाने को कहा जिससे बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 05/01/2023 से पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा प्रार्थना पत्र कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजी संख्या 1704 में आने जाने गाडी, बैल, फसल, मवेशी, लाने ले जाने के लिए 5 मीटर चौडा रास्ता प्रार्थी को अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 3 तक के खातेदारी की आराजी संख्या 1703 की दक्षिणी व पूर्वी मेड पर होकर आगे अप्रार्थीगण संख्या 3 से लगायत 8 तक के खातेदारी की आराजी संख्या 1701 की उत्तरी मेड पर होकर मुख्य सडक आराजी संख्या 1088 तक लम्बा रास्ता नजरी नक्शे अनुसार अप्रार्थीगण की आराजीयात से प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान कराना फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पूर्व में दिनांक 29.08.2023 को अप्रार्थी संख्या 3, 6, 7 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अभय चपलोत तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच का अधिकार पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 किया गया। तहसीलदार कपासन से मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.2024 प्राप्त होकर दिनांक 25.06.2024 को शा0फा0 की गई। वकील प्रार्थी द्वारा मौखिक बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात पर पहुंच हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट में अंकित रास्ता ही निकटतम रास्ता है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर रास्ता उपलब्ध कराया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.12 14:39:37 IST
Reason: SelfAttested

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कपासन से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)

   प्रकरण में तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी निजी मौजा लांगच की आराजीयात पर पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करावें।

   तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम नहीं है। चाही गई आराजी में से मार्ग का विवरण इस प्रकार है–

   आराजी नं0 1703 रकबा 0.31 हैक्ट0 में से

   135 वर्गमीटर (27 मी0 लम्बाई × 5 मी0 चौडाई)।

   आराजी नं0 1701 रकबा 0.34 हैक्ट0 में से

   410 वर्गमीटर (82 मी0 लम्बाई × 5 मी0 चौडाई)

   215 वर्गमीटर (43 मी0 लम्बाई × 5 मी0 चौडाई)

   आराजी नं0 1661/1688 रकबा 0.06 हैक्ट0 में से

   40 वर्गमीटर (8 मी0 लम्बाई × 5 मी0 चौडाई)।

   कुल 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल

3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

   अप्रार्थीगण मौके पर अनुपस्थित।

4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

   अप्रार्थीगण मौके पर अनुपस्थित। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम नहीं होकर लम्बा होता है जिससे कृषि भूमि का अधिक क्षय होता है। अतः लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित किया गया।

5. सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

   लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित अनुसार

   आ0नं0 1700 में से 325 वर्गमीटर (65 मी0 लम्बाई × 5मी0 चौडाई)

   कुल प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल 325 वर्गमीटर(0.0315 हैक्ट0) है।

   कुल राशि डी0एल0सी0 दर 379537 रूपये प्रति हैक्टयर से 325 वर्गमीटर भूमि की राशि 12335 रूपये का दुगुना 24670 रूपये बनते है।

सत्यमेव जयते
Web copy, Not Official

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा लांगच पदवार हल्का लांगच तहसील कपासन के हल्के बैरूनी की आराजी नं0 1704 रकबा 0.56 हैक्ट0, स्थित है, पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 1703, 1701, 1861/1688 से रास्ता चाह रहे है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण उपयोग करते आ रहे है। तहसीलदार कपासन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर जाने हेतु प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लघुत्तम नहीं होकर लम्बा है जिससे कृषि भूमि का अतिरिक्त क्षय है। उक्त आराजीयात से चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त प्रस्तावित लघुत्तम रास्ता जो कि आराजी संख्या 1700 में से प्रस्तावित किया गया है। जो कि अप्रार्थी संख्या 3 से लगायत 8 के नाम दर्ज रेकार्ड है। अतः मौजा लांगच की आ0 सं0 1704 पर जाने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.12 14:39:37 IST
Reason: SelfAttested

कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिये सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क :– अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना के बिन्दु 1–'ख' कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारी की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय होता है। तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उप–खण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उप–खण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

I. यह आवश्यकता आत्यतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और
II. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौड़ा न हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप–खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहाँ उप–धारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहाँ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उप–धारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।'

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा लांगच पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन के हल्के बेरूनी में स्थित हाल आराजी न0 1704 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की मौजा लांगच की आ.न. 1700 है। जिससे रास्ते का प्रस्तावित रकबा आ0नं0 325 में से 65 × 5 = 325 वर्गमीटर, कुल क्षेत्रफल 325 वर्ग मीटर है जिसका [illegible] रिपोर्ट के साथ संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता कायम किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के अनुसार कुल रकबा 325 वर्गमीटर की डीएलसी दर 3795 [illegible] 0.0325 = 12335 रूपये है जिसका दुगुना करने पर 24670/– रूपये अक्षरे [illegible] सौ सत्तर रूपये राशि जो कि अप्रार्थी संख्या 3 से लगायत 8 को राजस्व रेकार्ड में हक हिस्से अनुसार देय है को जरिये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के नाम हक हिस्से अनुसार डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार कपासन के समक्ष आवेदन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.12 14:39:37 IST
Reason: SelfAttested

साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशी अदायगी हेतु 30 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधी के भीतर–भीतर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन से प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजीव बडगूजर)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.12 14:39:37 IST
Reason: SelfAttested